N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0240 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/10/2024 19:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 01/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 09:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:06 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/10/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/10/2024 19:19:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 140 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MAMA HOTAL KAMA, DISTRICT DEEG

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): HASIM

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMJAN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1976 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM POST KAITHWARA, KAITHWARA, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM POST KAITHWARA, KAITHWARA, डीग, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANOJ KUMAR VERMA		पिता:KARTARAM	1. 785,MULANA BARARA, अम्बाला,हरियाणा,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 01.07.2024 को समय करीब 09.00 एएम पर परिवादी श्री हासिम पुत्र श्री रमजान उम्र 48 साल जाति मेव निवासी ग्राम पोस्ट कैथवाडा, पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग कार्यालय में उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा को सम्बोधित करते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैने मेरे घर पर नियमानुसार बिजली विभाग से घरेलू कैनेक्शन ले रखा है, जो मेरे पुत्र असरफ खॉन के नाम है जिसका मै बिल भी भरता हूँ । इसके बाद भी हमारे बिजली विभाग के कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कामॅा जिला डीग के अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज कुमार करीब 5-7 दिन पहले मेरे घर पर आया और मेरे बिजली कैनेक्शन की फोटो खींचकर उसको ओवर लोड बताकर मेरी वीसीआर भर रसीद काटने का भय दिखाकर मेरे से 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की और नही देने पर वीसीआर भर रसीद काटने के लिए कहा तो मैने उनको कहा कि साहब मेरा कैनेक्शन तो जायज है कोई ओवर लोड नही है तो उन्होने मुझे कहा कि 30,000 रूपये देते हो तो ठीक है नही तो मै आपकी 2,00,000 रूपये की रसीद काट देता हूँ फिर रोते रहना। मै मेरे जायज घरेलू बिजली कैनेक्शन की झूठी वीसीआर भर रसीद काटने के नाम पर श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन को रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूँ । मेरी श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन से कोई रंजिश, दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकि नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का मन उप अधीक्षक पुलिस ने अवलोकन कर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से मजिद दरियाफत की गई तो परिवादी ने अपने आप को कम पढा लिखा होना, उर्दू ही जानना, हिन्दी लिखना नही जानना केवल हस्ताक्षर करना ही जानना तथा उक्त लिखित रिपोर्ट अपने मिलने वाले से लिखवाकर लाना एंव उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर परिवादी श्री हासिम का परिचय श्री लोकेश कुमार कानि 155 से करवाया जाकर मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैक सोनी निकालकर व उसमें एसडी कार्ड 32 जीबी लगाकर परिवादी श्री हासिम को उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर, वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर एंव एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को टेप करने की समझाईश की जाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री लोकेश कुमार कानि नं. 155 को मुनासिब हिदायत कर समय करीब 09.30 एएम पर तहसील कॉमा जिला डीग के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 10.06 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री लोकेश कुमार कानि 155 ने जरिये दूरभाष कॉल कर बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार एक्सईएन ने परिवादी से उसकी विसीआर नही भरने की एवज में 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा परिवादी कह रहा कि मेरे घर पर काम है इसलिए मै आपके साथ नही जा सकता। इस पर मैने परिवादी से वार्ता कर मांग सत्यापन के बारे में पूछा गया एंव रिश्वत राशि साथ लेकर आने के लिए कहा तो परिवादी ने कहा कि साहब मेरे काम है आप कल यहा सीकरी से पहले अल करीम होटल के पास आ जाना मै यही आपको रिश्वत राशि आरोपी की मांग अनुसार पेश कर दुगॅा। इस पर कानि श्री लोकेश कुमार को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी को वही छोडकर सुबह आने के लिए कहा गया। इसके बाद दिनांक 02.07.2024 को समय 11.00 एएम पर बाद मांग सत्यापन श्री लोकेश कुमार कानि 155 तहसील कॉमा जिला डीग से उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर पेश कर बताया कि मै और परिवादी श्री हासिम उसकी गाडी से कार्यालय एसीबी दौसा से रवाना होकर तहसील कॉमा में संदिग्ध आरोपी के कार्यालय बिजली विभाग के नजदीक पहूँचे, जहा पर गाडी को एक साईड में भीड भाड वाली जगह खडी कर मैने परिवादी से वाईस रिकॉर्डर लेकर उसको चालूकर परिवादी को दिया जाकर मै तो उस कार्यालय के बाहर रूक गया तथा परिवादी उस कार्यालय के अन्दर चला गया। कुछ समय बाद परिवादी उस कार्यालय से बाहर मेरे पास आया तो मैने उससे वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया, तब परिवादी ने मुझे बताया कि जब मै अन्दर गया तो उसी टाईम संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन अपनी गाडी में बैठकर कही बाहर चले गये। इसके बाद हम दोनों वहा से परिवादी की गाडी से रवाना होकर परिवादी के निवास स्थान कैथवाडा पर आ गये। इसके बाद समय करीब 05.00 पीएम पर हम दोनों परिवादी के निवास स्थान कैथवाडा से उसकी गाडी से रवाना होकर मामा होटल कॉमा के नजदीक पहूँचे, जहा पर गाडी

को होटल के बाहर एक साईड में खडी की तो परिवादी का दौस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा भी मिल गया। इस पर परिवादी ने मुझे कहा कि मै मेरे दोस्त को भी साथ लेकर जाऊंगा। जिससे संदिग्ध आरोपी रिश्वत के सम्बन्ध में खुलकर बात करता है। तत्पश्चात मैने वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालूकर दिया और मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन के पास उसके किराये के कमरे मामा होटल पर रवाना किया तो परिवादी व श्री शाबीर उर्फ शब्बा रवाना हो गये तथा मै उस होटल के बाहर खडा होकर परिवादी का ईन्तजार करने लगा। कुछ समय बाद परिवादी व उसका दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा होटल के बाहर आये और शाबीर उर्फ शब्बा तो वहा से चला गया तथा परिवादी श्री हासिम ने मुझे वाईस रिकॉर्डर पेश किया तो मैने प्राप्त कर बन्द कर अपने पास कब्जे में रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि मै और मेरा दोस्त एक्सईएन साहब के पास उसके किराये के कमरे पर गये तो हमें एक्सईएन साहब उपस्थित मिले, जिनको मैने नमस्कार किया तो उन्होने मुझे कहा कि आप बाहर बैठो तो मैने कहा कि वो तो ठीक है, फिर उन्होने मुझे शाबीर उर्फ शब्बा के लिए कहा कि ये थोडा मेरे मिलने वाले है इसलिए मै कर देता हूँ, नही तो मै करता नही हूँ। इस पर मैने उनको कहा कि हम तो रिकवस्ट कर रहे है कुछ कम बत्ती हो जाये तो, तो उन्होने मेरे से मेरी विसीआर नही भरने के लिए 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की। मैने उनसे कुछ और कम करने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि इससे कम नही होगे। ये तो छोडना ही नही होता, हाथ कि हाथ करना होता है, लेकिन मैने रिकवस्ट कर रखी है। इस पर मैने उनको कहा कि पन्द्रह ये लो, दस और दे दुगॉ, तो उन्होने कहा कि ऐसा नही चलता, पूरे चाहिए। इसके बाद हम दोनों वहा से रवाना होकर होटल के बाहर आ गये । मैने उनसे हुई सभी बातों को टेप में टेप कर लिया। इसके बाद हम दोनों वहा से रवाना होकर परिवादी के निवास स्थान कैथवाडा पर आ गये। इसके बाद श्री लोकेश कुमार कानि 155 के द्वारा पेश किये गये डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमें कानि को परिवादी द्वारा बताई गई बातो का रिकॉर्ड होना एंव संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसकी विसीआर नही भरने की एवज में 30,000 रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। टेप रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री लक्ष्मी नारायण मीणा अति. प्रशासनिक अधिकारी, व श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक दौसा से जरिये दूरभाष वार्ता कर शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया तो दोनों स्वतन्त्र गवाह समय 02.30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मांग सत्यापन के समय परिवादी उसके दोस्त व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई वार्ता के वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर सरसरी तौर पर चालू कर सुनाया गया तथा वापिस बन्द कर अपने पास रखा गया। इसके बाद समय 03.00 पीएम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि 27, श्री दौलतराम हैड कानि,श्री बनवारी लाल हैड कानि 116, श्री राकेश कानि 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि 382, श्री रामखिलाडी कानि 52 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एंव फिनालफैथलीन पाऊडर की शीशी श्री रामखिलाडी कानि 52 के पास रखवाकर तथा मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर अपने पास रखकर प्राईवेट व सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही तहसील कॉमा जिला डीग के लिए रवाना होकर समय 05.25 पी.एम. उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा अल करीम होटल सीकरी के नजदीक पहूँचे, जहा पर परिवादी श्री हासिम उपस्थित मिला। तत्पश्चात वाहनों को होटल के पास एक साईड में खडे कर होटल में प्रवेश कर बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री हासिम से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 01.07.2024 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र में अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवहान के समक्ष परिवादी, परिवादी का दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा तथा संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कामां जिला डीग के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओ को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 01.07.2024 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था को अलमारी से निकालकर रवानगी के समय मन उप अधीक्षक पुलिस अपने साथ लेकर आया था उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब- शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं में आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कामां जिला डीग की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज तथा अपने दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा की आवाज की पहचान परिवादी श्री हासिम द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार

किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु ट्रेप बाक्स से चार खाली डीवीडी ली जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से चार डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर चारों डीवीडी पर मार्क- A-1,A-2, A-3, A-4 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री हासिम के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क A-1,A-2,A-3 को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित तीनों डीवीडी को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1,A-2,A-3 अकिंत कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा चौथी डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.30 पी.एम.पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हासिम को संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कामां जिला डीग को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/-रू निकाल कर पेश किये। जिनके नम्बरों की लिखापढी फर्द पेशकशी में कर नोटों के नम्बरों को पुनः चैक कर नोटों पर श्री रामखिलाडी कानि 52 के पास कपडे की थैली में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर अल करीम होटल सीकरी जिला डीग की छत पर रखी टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 30,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री रामखिलाडी कानि 52 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हासिम की जामा तलाशी गवाह श्री लक्ष्मी नारायण मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 30,000/-रू. के नोट श्री रामखिलाडी कानि 52 से परिवादी की पहने हुई कुर्ते की बगल की दाहिने जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस श्री रामखिलाडी कानि 52 के पास रखी थैली में सुरक्षित रखवायी गई। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री रामखिलाडी कानि 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को होटल से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास भी कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट एवं डिजीटल टेपरिकार्डर, मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद श्री रामखिलाडी कानि 52 से फिनालफथैलीन पाऊडर की शीशी वापिस कपडे की थैली में रखवाकर उसको हमराह देकर कार्यालय एसीबी दौसा के लिए रवाना किया गया। इसी दरमियान परिवादी श्री हासिम ने कहा कि साहब मेरा दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा वही होटल के पास मिलेगा जिसको मै साथ लेकर जाऊंगा। तत्पश्चात समय 07.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री हासिम व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि 27, श्री दौलतराम हैड कानि,श्री बनवारी लाल हैड कानि 116, श्री राकेश कानि 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन एंव परिवादी के वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही तहसील कॉमा जिला डीग के लिए रवाना होकर मामा होटल कामॉ जिला डीग, जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन रहते थे के नजदीक पहुचे, जहां पर वाहनों को होटल से कुछ दूरी पर रोड के एक साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाया जाकर परिवादी से उसके दोस्त के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि वह होटल के पास ही मिलेगा। इसके बाद परिवादी को डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू करने की मूनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन के पास मामा

होटल के लिए रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर मामा होटल के आस पास खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी को उसके दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा के साथ होटल में प्रवेश करते हुये देखकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 08.50 पीएम पर परिवादी श्री हासिम बिना कोई ईशारा किये हुये ही अपने दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा के साथ मामा होटल से बाहर निकलकर अपने दोस्त को छोडकर गाडियों की तरफ रवाना हुआ, जिस पर मन उप पुलिस अधीक्षक भी सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर गाडियों के पास आया। तब परिवादी से डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया गया। इसके बाद परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मै यहा से रवाना होकर होटल के पास पहुचा तो मेरा दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा जिससे एक्सईएन साहब वार्ता करते है वो मिला, तत्पश्चात हम दोनों होटल के अन्दर प्रवेश कर एक्सईएन साहब के कमरे पर पहुचे और मेरे दोस्त ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कमरे के अन्दर से दरवाजे पर श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन साहब आये और मेरे को ईशारे से बाहर ही रूकने के लिए कहा तो मै तो बाहर ही रूक गया तथा मेरा दोस्त शाबीर उर्फ शब्बा अन्दर चला गया। कुछ समय बाद मेरा दोस्त शाबीर उर्फ शब्बा बाहर आया और मुझे कहा कि एक्सईन साहब ने पैसे लेने से मना कर दिया और वीसीआर भरने के लिए ही कहा है। इस पर हम दोनों वहा से रवाना होकर होटल के बाहर आये और मै अपने दोस्त को छोडकर आपके पास आ गया। इस पर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त नही करने पर ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने पर परिवादी श्री हासिम से रिश्वती राशि एक खाकी लिफाफे में रखवाकर एचएम श्री बनवारीलाल हैड कानि के पास सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना में रखने के लिए रखवाई गई तथा परिवादी द्वारा पेश वाईस रिकॉर्डर को चालूकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें परिवादी एंव उसके दोस्त की ही वार्ता होना पाई गई संदिग्ध आरोपी से कोई वार्ता होना नही पाया गया। इस पर परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया गया कि साहब मेरे को एक्सईएन साहब ने ईशारे से बाहर ही बैठा दिया था इसलिए उसकी व मेरी वार्ता वाईस रिकॉर्डर में नही हुई। इसके बाद परिवादी श्री हासिम को संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन द्वारा आईन्दा रिश्वत राशि लेने हेतु बुलाने पर टाईम लेते हुये जरिये दूरभाष मन उप अधीक्षक पुलिस को सुचित करने की मुनासिब हिदायत कर उसकी मय गाडी के वही छोडा जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान व स्टाफ सदस्यों के मय लैपटॉप प्रिन्टर, साजो सामान व जब्त शुदा डिविडी हमराह लेकर कॉमा से एसीबी कार्यालय दौसा के लिए रवाना होकर दिनांक 03.07.2024 को समय 01.30 एएम पर एसीबी कार्यालय दौसा पर उपस्थित आया। ट्रेप रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया तथा जब्त शुदा डिविडियों को जमा मालखाना करवाया गया एंव रिश्वती राशि श्री बनवारीलाल हैड कानि से सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना में रखवाई गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अपना मोबाईल ऑन रखने एंव कार्यवाही हेतु बुलाने पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 16.08.2024 को समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री हासिम कार्यालय में उपस्थित आया एंव मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया की दिनांक 13.07.2024 को श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन साहब सरकारी काम से मेरे गॉव आये थे, तब मैने उनको नमस्कार कर मेरी विसीआर के काम बाबत बातचीत की तो वह अन्य लोगो के सामने मेरे से कोई वार्ता नही की और गॉव से चले गये। इसके बाद मै दिनांक 16.07.2024 को मेरे किसी अन्य कार्य से बिजली विभाग के कार्यालय कामॅा गया तो एक्सईन साहब मुझे अचानक मिल गये, जिनको मैने नमस्कार कर पुनः मेरी विसीआर के कार्य बाबत कहा तो उन्होने मुझे कहा कि मै आपसे कोई वार्ता नही करूंगा उस दिन तो मैने शाबीर उर्फ शब्बा के कारण आपसे बातचीत करली मेरे को सब पता है आप मेरे विरूद्व कार्यवाही करवाना चाह रहे हो। मै आपसे न तो कोई बातचीत करूगा और न ही आपसे रूपये आदि लुगा तथा मै आपको अब देखुगां। इसके बाद श्री मनोज कुमार वर्मा एक्सईएन साहब ने उनको मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लगने के कारण नाराज होकर मेरी 1,71,812 रूपये की वीसीआर भर दी गई। जिसकी प्रति मै आपको पेश कर रहा हू। इससे मेरे को अब पूरा विशवास है कि एक्सईएन साहब को मेरे द्वारा उनके खिलाफ करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लग चूकी है। इसलिए वह मेरे से न तो रिश्वत राशि प्राप्त कर रहा है और न ही रिश्वत के सम्बन्ध में कोई वार्ता कर रहा है। अतः आप मुझे मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 02.07.2024 को पेश की गई रिश्वती राशि 30,000 रूपये वापिस लोटावे। तत्पश्चात पाबन्द शुद्वा दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री लक्ष्मी नारायण मीणा अति प्रशासनिक अधिकारी, व श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक दौसा को अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहने पर समय 10.00 एएम दोनों स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताई गई बातों से अवगत करवाया गया। इसके बाद परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कामां जिला डीग के विरूद् परिवादी श्री हासिम द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही का पता चलने व परिवादी पर शक होने के कारण संदिग्ध आरोपी ने नाराज होकर परिवादी की वीसीआर भर दी गई, इसलिए अब परिवादी से न तो रिश्वत राशि प्राप्त कर रहा और न ही परिवादी से रिश्वत व उसके कार्य बाबत कोई वार्ता कर रहा। इस कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने पर परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री लक्ष्मी नारायण मीणा अति. प्रशासनिक अधिकारी, व श्री

गिर्राज प्रसाद शर्मा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक दौसा के सामने मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने द्वारा दिनांक 02.07.2024 को आरोपी की मांग अनुसार पेश की गई रिश्वत राशि 30,000 रूपये वापिस लौटाने व कार्यवाही को यही पर बन्द करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवादी द्वारा दिनांक 02.07.2024 को पेश की गई रिश्वती राशि 30,000 रूपये के नोटों को बदलकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर परिवादी से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लोटाये जाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 11.00 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री हासिम के समक्ष उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 01.07.2024 को परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा SANDISK 32 GB अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कामां जिला डीग एंव परिवादी के दोस्त श्री शाबीर उर्फ शब्बा के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता रिकार्ड की हुई है एंव जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पूर्व में तैयार की गई है, उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उस मैमोरी कार्ड SANDISK 32 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया जाकर जब्त शुदा एस.डी. मैमोरी कार्ड SANDISK 32 GB मार्क SD को मालखाना ईन्चार्ज श्रीमती मन्जू देवी हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती मैमोरी कार्ड SANDISK 32 GB पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की जाकर गवाहान व परिवादी को कार्यालय से रवाना किया गया। सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री करताराम जाति बैरवा उम्र 57 साल निवासी 785 मुलाना, बरारा जिला अम्बाला हरियाणा हाल अधिशाषी अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता (पवस) जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड ,कामां जिला डीग द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री हासिम पुत्र श्री रमजान उम्र 48 साल जाति मेव निवासी ग्राम पोस्ट कैथवाडा, पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग से उसके मकान के घरेलू कनेक्शन की फोटो खीचकर कनेक्शन को ओवर लोड बताकर विसीआर भर रसीद काटने का भय दिखाकर विसीआर नही भरने की एवज में मांग सत्यापन के समय दिनांक 01.07.2024 को 30,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एंव फिर आरोपी को परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लगने पर परिवादी से रिश्वत राशि लेने व उसकी विसीआर के कार्य बाबत कोई वार्ता नही कर रंजिशवस दिनांक 18.07.2024 को 1,71,812 रूपये की वीसीआर भरना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कामां जिला डीग का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री करताराम जाति बैरवा उम्र 57 साल निवासी 785 मुलाना, बरारा जिला अम्बाला हरियाणा हाल अधिशाषी अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता (पवस) जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, कामां जिला डीग के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (नवल किशोर) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर,उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री करताराम जाति बैरवा उम्र 57 साल निवासी 785 मुलाना, बरारा जिला अम्बाला हरियाणा हाल अधिशाषी अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता (पवस) जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, कामां जिला डीग के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 938 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1302-05 दिनांक 28-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर । 2-अध्यक्ष, जयपुर विद्युत विरतण निगम, लिमिटेड, जयपुर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): PARAMESHWAR LAL YADAV Rank (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/10/2024 19:21:54

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/06/1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)